न्यायालयअतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 217/2022

घेवरराम पुत्र सगताराम व अन्य
बनाम
मूलचन्द पुत्र हरलाल वगैरा

दिनांक 27 .04.2026

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बावड़ी (जोधपुर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन/प्रकरण संख्या 47/2022 में पारित आदेश दिनांक 19.04.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 से 3–प्रार्थी–मूलचन्द वगैरा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसील बावड़ी के ग्राम विनायकपुरा स्थित अपने खातेदारी कब्जाकाश्त की स्वतंत्र तरमीम सुदा खसरा नम्बर 620, 620/2 एवं 632 की उल्लेखित रकबा भूमि की पक्की पत्थरगढ़ी करवाने का आग्रह किया गया। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर, तहसीलदार बावड़ी को वादग्रस्त खसरान का सीमांकन करते हुए पत्थरगढी की कार्यवाही करने तथा वक्त पत्थरगढी आवश्यकता पड़ने पर पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आदेशित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट–अप्रार्थी सं0 1 से 6–घेवरराम वगैरा ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

वकील अपीलांट श्री उम्मेदसिंह बावरला, रेस्पो0सं0 1 व 3 के अधिवक्ता श्री पुनीत जांगु, रेस्पो0सं0 2/1 व 2/3 के अधिवक्ता श्री ओंमकारसिंह, रेस्पो0सं0 2/2 के अधिवक्ता श्री इन्दर विश्नोई एवं रेस्पो0सं0 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रास्ते पर अतिक्रमण कर, आवागमन बंद करने हेतु आमदा है। इस कारण विधिविरूद्ध पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0 के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि आलौच्य प्रकरण में रेस्पो0 के आवेदन पर दिनांक 24.3.22 को वादग्रसत खसरान का सीमाज्ञान पडौसी खातेदारों को सूचित कर, उपस्थित मौतबिरान के सामने मुटाम लगा कर करवाया गया। मौके पर ख0नं0 620 एवं 632 का रकबा जमाबंदी में दर्ज रकबे से कम पाया गया। अपीलांट के ख0नं0 620/1 एवं रेस्पो0 के ख0नं0 620 के मध्य सडक ख0नं0 620/3 रेस्पो0 की खातेदारी भूमि के अन्दर है, जिसे अपीलांट अपनी बता रहे है। रेस्पो0 द्वारा अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित सम्मन की ट्रेकिंग रिपोर्ट पेश की गई थी, जो सभी डिलीवर्ड होने से प्रोपर तामिल है। रेस्पो0–प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है। अपीलाधीन आदेश बाद सीमांकन पत्थरगढी करवाने का पारित किया गया है। जो विधिसम्मत होने से अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 4 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया गया। अपीलांट का कथन है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित सम्मन उसे प्राप्त नही हुए और अत्यंत जल्दबाजी में की गई कार्यवाही से उसे समुचित सुनवाई का अवसर नही मिला। यद्यपि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अप्रार्थी को प्रेषित रजिस्टर्ड सम्मन की डाक रसीदें व ट्रेकिंग रिपोर्ट मौजूद है, परंतु पत्रावली से यह भी साबित है कि अपीलाधीन कार्यवाही मात्र 20 दिन में कर संपूर्ण दी गई। इसके अलावा आलौच्य प्रकरण में अप्रार्थी सं0 7–तहसीलदार बावड़ी की रिपोर्ट/जवाब का अभाव पाया गया, जबकि यह आज्ञापक प्रावधान है। अपीलाधीन आदेश में वादग्रस्त ख0नं0 620, 620/2 व 632 का सीमांकन एवं पत्थरगढी का आदेश पारित किया गया है, जबकि हल्का पटवारी भवाद द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द सीमांकन दिनांक 24.3.22 ख0नं0 620 एवं 632 की ही है, जिसमें ख0नं0

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

620/2 तथा अप्रार्थी–अपीलांट की मौजूदगी का कोई उल्लेख नही है। इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, उपखण्ड अधिकारी बावड़ी (जोधपुर) द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र/प्रकरण संख्या 47/2022 अनवान मूलचन्द व अन्य बनाम घेवरराम वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.04.2022 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर, उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 27-4-26. को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

27/4/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर